जोसेफ एंटनी लाजर (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

बनाम

ए.जे. फ्रांसिस

अप्रैल 3, 2006

[बी.पी. सिंह और अलतमास कबीर, न्यायमूर्तिगण]

वसीयत - विश्वसनीयता - वसीयतकर्ता की दो पुत्रियां और चार पुत्र थे - वाद संपत्ति को एक पुत्र के पक्ष में वसीयत करते हुए वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत निष्पादित किए जाने का मंतव्य था - वाद संपत्ति में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों का प्रकटीकरण किए बिना पुत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रोबेट प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया - प्रोबेट अनुज्ञात किया गया था लेकिन बाद में पुत्रियों में से एक द्वारा दायर प्रतिसंहरण के आवेदन पर प्रतिसंहृत कर दिया गया - पुत्री द्वारा दलील दी गई कि उसके पति ने वाद संपत्ति के क्रय के लिए किस्तों का भुगतान किया था; यह कि वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित नहीं किया गया था क्योंकि वह अपनी मृत्यु से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी; और यह कि पुत्र ने अपने पक्ष में वसीयत के निष्पादन के लिए वसीयतकर्ता पर उत्पीड़न और असम्यक असर का प्रयोग किया था - विचारण न्यायालय ने पुत्र के पक्ष में निर्णय दिया - उच्च न्यायालय ने पुत्री के पक्ष में निर्णय दिया - शुद्धता - अवधारित, तथ्यों के आधार पर, वसीयत में हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के वास्तविक हस्ताक्षर के अनुरूप नहीं हैं - अधिवक्ता, जिसने वसीयतकर्ता के कहने पर वसीयत का प्रारूप तैयार किया था और उप निबंधक जिसके समक्ष वसीयत पंजीकृत की गई थी, का परीक्षण नहीं किया गया था - इसके अतिरिक्त वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के आस-पास अन्य संदिग्ध परिस्थितियां हैं - इसलिए, वसीयत की विश्वसनीयता और वसीयतकर्ता द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से निष्पादन के संबंध में संदेह है।

एक एस की मृत्यु अपनी दो पुत्रियों और चार पुत्रों को छोड़कर हो गई। एस द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में एक वसीयत निष्पादित करने का मंतव्य था जिसमें अपीलकर्ता, जो पुत्रों में से एक है, के पक्ष में वाद गृह संपत्ति को वसीयत किया गया था। वसीयत का पंजीकरण वसीयत के निष्पादन के एक वर्ष बाद किया गया था। अपीलकर्ता ने मृतक की वाद संपत्ति में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों का प्रकटीकरण किए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष वसीयत के प्रोबेट की मंजूरी के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रोबेट अपीलकर्ता के पक्ष में अनुज्ञात किया गया था। उत्तरदाता, जो पुत्रियों में से एक है, ने प्रोबेट कार्यवाहियों में एक आवेदन दायर कर अपीलकर्ता को अनुज्ञात प्रोबेट के प्रतिसंहरण की मांग की क्योंकि इसे उसे कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए बिना प्राप्त किया गया था। एकल न्यायाधीश ने प्रोबेट को प्रतिसंहृत कर दिया और आवेदन को पुनः संख्यांकित किया ताकि इस प्रश्न पर विचार किया जा सके कि वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित कही गई वसीयत वैध और विश्वसनीय थी या नहीं और क्या वसीयत उत्पीड़न और असम्यक असर से विकृत हुई थी।

उत्तरदाता ने दलील दी कि वाद संपत्ति राज्य द्वारा उसके पति द्वारा किए गए आवेदन पर आवंटित की गई थी; कि चूंकि राज्य ने इस बात पर बल दिया कि केवल शहर के निवासी ही आवास स्थलों के आवंटन के पात्र थे, उसने और उसके पति ने आवंटन को उसकी माता के नाम पर इस समझ के आधार पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया कि उसे अपने जीवनकाल तक संपत्ति में रहने और आनंद लेने की अनुमति दी जाएगी और उसकी मृत्यु के बाद इसे उत्तरदाता के पति को वापस सौंप दिया जाएगा; कि उसके पति ने वाद संपत्ति के लिए राज्य को सभी किस्तों का भुगतान किया; कि वह अपने पति के साथ किराए के आवास में रही क्योंकि वाद संपत्ति परिवार के सभी सदस्यों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी; कि उसकी माता की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता ने उत्तरदाता के रहने के लिए वाद संपत्ति को खाली करने से इनकार कर दिया; कि उसने अपीलकर्ता के विरुद्ध कब्जे के

लिए विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद दायर किया, जो लंबित है; कि कथित वसीयत उसकी माता द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह अपनी मृत्यु से लगभग तेरह वर्ष पहले शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी; और यह कि यदि वसीयत उसके द्वारा निष्पादित की गई थी, तो यह केवल दबाव और उत्पीड़न के अंतर्गत ही किया जा सकता था।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उसके भाई और उसने मिलकर वाद संपत्ति की किस्तों का भुगतान राज्य को किया और अपनी माता की मृत्यु तक उनकी देखभाल की; कि उनकी माता ने उक्त तथ्य की मान्यता में उसके भाई और उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी जिसका उल्लेख वसीयत में भी किया गया था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के पक्ष में वाद का निर्णय करते हुए अवधारित किया कि ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थितियां नहीं थीं जो अपने आप में यह इंगित करने के लिए पर्याप्त हों कि विल विश्वसनीय नहीं थी; कि अपीलकर्ता विल के उचित निष्पादन को सिद्ध करने में सक्षम था; कि वसीयतकर्ता वसीयत निष्पादित करने के लिए अपनी मानसिक संकायों के पर्याप्त नियंत्रण में थी; कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह इंगित करे कि वसीयतकर्ता अपीलकर्ता के नियंत्रण में थी या वह वसीयत निष्पादित करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम थी; और यह कि उत्तरदाता वसीयतकर्ता पर अपीलकर्ता द्वारा उत्पीड़न और असम्यक असर का प्रयोग किए जाने को सिद्ध करने में विफल रही है।

उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया और प्रोबेट की मंजूरी के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि वसीयतकर्ता गिरने के कारण चोटिल हुई थी और उसकी जांघ की हड्डी दो बार टूट गई थी; कि दोनों अवसरों पर उसका संचालन किया जाना था और वह अपने पहले गिरने के बाद खराब स्वास्थ्य से ग्रस्त

रह रही थी; कि न तो उस अधिवक्ता का जिसने वसीयतकर्ता के निर्देशों पर वसीयत का प्रारूप तैयार किया था और न ही उस उप निबंधक का जिसके समक्ष वसीयत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई थी, अपीलकर्ता की ओर से साक्षियों के रूप में परीक्षण किया गया था; कि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि दस्तावेज कभी वसीयतकर्ता को पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया था; कि अपीलकर्ता के भाई, जो वसीयत का लाभार्थी भी है और विदेश में रह रहा है, द्वारा किस्तों के भुगतान के लिए वसीयतकर्ता को कोई धन प्रेषित करने का कोई सबूत नहीं है; कि वसीयत में वसीयतकर्ता के अन्य दो पुत्रों का बिल्कुल भी संदर्भ नहीं है कि उन्हें क्यों अपवर्जित किया जा रहा था और संपत्ति में उनके हिस्से से वंचित किया जा रहा था; कि वसीयत में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर उनके वास्तविक हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं; और यह कि अपीलकर्ता द्वारा वसीयत का तब तक प्रकटीकरण नहीं किया गया था जब तक कि उत्तरदाता के पति ने उसे वाद संपत्ति खाली करने के लिए नहीं कहा। अतः अपील।

अपील को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. यह सुझाव देना अविवेकपूर्ण होगा कि वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के आस-पास कोई संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं। यह समझना कठिन है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में अपने दो पुत्रों का उल्लेख क्यों छोड़ दिया, यद्यपि उसने इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया है कि यहाँ अपीलकर्ता और उसके अन्य पुत्र ने उसकी देखभाल की थी और गृह संपत्ति के प्रति सभी किस्तों का भुगतान किया था, भले ही अन्य पुत्र बहुत पहले भारत से बाहर चला गया था और केवल अपीलकर्ता ही उसके साथ उस घर में रह रहा था जो वसीयत में वसीयत की विषयवस्तु है। यह स्वीकृत है कि वसीयतकर्ता अत्यधिक उन्नत आयु की थी। यह भी स्थापित है कि वह गिरने के कारण चोटिल हुई थी और उसकी जांघ की हड्डी दो बार टूट गई थी और दोनों अवसरों पर उसका संचालन किया जाना था तथा वह अपने पहले गिरने के बाद से खराब स्वास्थ्य से ग्रस्त रह रही थी। यह अपने आप में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि वह वसीयत

निष्पादित करने में अक्षम थी, लेकिन उत्तरदाता की इस दलील को कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना और वसीयतकर्ता की बाद की निर्भरता का लाभ उठाकर उसे अपने पक्ष में और एक अन्य भाई जो भारत में रह भी नहीं रहा था के पक्ष में वसीयत बनाने के लिए प्रभावित किया था, उपरोक्त प्रश्न का निर्णय करते समय ध्यान में रखना होगा। [1717-एफ-एच; 718-ए, बी]

1.2. उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त, जो शायद और भी अधिक महत्व का है, वह वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर दो हस्ताक्षरों की उपस्थिति है, जिन्हें वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर कहा गया है। वसीयत का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक समय के बाद किया गया था। वसीयत को छोड़कर, अपीलकर्ता द्वारा यह इंगित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक ने कभी अपने नाम के वैसे हस्ताक्षर किए थे जैसे उसने वसीयत में किए थे। दिए जाने वाले स्पष्टीकरण की विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए, हमने वसीयत की छाया-प्रति का परीक्षण किया जो अभिलेखों में थी और नग्न आंखों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों हस्ताक्षर पूरी तरह से भिन्न हैं और उनमें आपस में कोई समानता बिल्कुल भी नहीं है। [718-बी-डी]

1.3. अंतिम और शायद इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपीलकर्ता का उस विद्वान अधिवक्ता का परीक्षण करने में विफल रहना है जिसने वसीयतकर्ता के निर्देशों पर वसीयत का प्रारूप तैयार किया था और उस उप निबंधक का परीक्षण न करना है जिसके समक्ष वसीयत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई कही गई है। उक्त दोनों साक्षी वसीयत की तैयारी, निष्पादन और पंजीकरण से संबंधित तथ्यों को निर्णायक रूप से सिद्ध कर सकते थे। किसी भी साक्ष्य के अभाव में, हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि वसीयत को वसीयतकर्ता के निष्पादित करने और पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने की बात कहे जाने से पहले कभी उसे पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया था या नहीं। एक साथ ली गई सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव वसीयत की विश्वसनीयता के संबंध में और इस बारे में कि क्या वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा इसका निष्पादन किया गया था, और यदि ऐसा था, तो

उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया गया था या नहीं, एक वास्तविक संदेह को जन्म देता है। [718-ई-जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4009 वर्ष 1998।

मद्रास उच्च न्यायालय के ओ.एस.ए. संख्या 45/1991 में दिनांक 17.12.1997 के निर्णय और आदेश से उद्भूत।

अपीलकर्ताओं के लिए के.के. मणि, के.बी. संदीप, आर.के. पांडेय और मयूर आर. शाह।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सूचित किया गया:

अलतमास कबीर, न्यायमूर्ति। एक श्रीमती सोलोमन लाजर प्लॉट संख्या 85, ट्रस्टपुरम योजना की स्वामी थीं, जिसे बाद में संख्या 9, तृतीय क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोदम्बाक्कम, मद्रास - 600024 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया था। उनकी मृत्यु 27 नवंबर, 1983 को मद्रास में हुई, और वे अपने पीछे अपनी जीवित दो पुत्रियों, अर्थात् श्रीमती वुड और श्रीमती ए.जे. फ्रांसिस तथा चार पुत्रों, अर्थात् जोसेफ लाजर, सेसिल लाजर, बेंजामिन लाजर और थॉमस लाजर को छोड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती सोलोमन लाजर ने साक्षियों की उपस्थिति में दिनांक 5 जुलाई, 1979 को एक वसीयत निष्पादित की थी, लेकिन उसे उप निबंधक, कोदम्बाक्कम के पास 7 जुलाई, 1980 को पंजीकृत किया गया था।

मृतक के पुत्रों में से एक, जोसेफ एंटनी लाजर ने 18 अक्टूबर, 1984 को वसीयत के प्रोबेट की मंजूरी के लिए आवेदन किया और इसे मूल वाद संख्या 300/1984 के रूप में संख्यांकित किया गया। अपने आवेदन में, प्रस्थापक ने मृतक की संपदा में हित रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के नामों का प्रकटीकरण नहीं किया और परिणामस्वरूप 18 अक्टूबर, 1984 को उसे प्रोबेट अनुज्ञात कर दिया गया। मृतक की दो पुत्रियों में से एक, श्रीमती ए.जे. फ्रांसिस ने प्रोबेट कार्यवाहियों में आवेदन संख्या 463/1985 दायर कर प्रार्थना की कि जोसेफ एंटनी लाजर को अनुज्ञात प्रोबेट को प्रतिसंहृत किया जाए क्योंकि वसीयतकर्ता की पुत्री होने

के बावजूद उसे कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया था। 28 फरवरी, 1985 को, विद्वान एकल न्यायाधीश, जिन्होंने पहले प्रोबेट अनुज्ञात किया था, ने उक्त मंजूरी को प्रतिसंहृत कर दिया और ऐसे प्रतिसंहरण पर, जोसेफ एंटनी लाजर द्वारा दायर आवेदन को जोसेफ एंटनी लाजर को वादी और श्रीमती ए.जे. फ्रांसिस को प्रतिवादी के रूप में रखते हुए टी.ओ.एस. संख्या 11/1985 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया, ताकि इस प्रश्न पर विचार किया जा सके कि श्रीमती सोलोमन लाजर द्वारा निष्पादित कही गई दिनांक 5 जुलाई, 1979 की वसीयत वैध और विश्वसनीय थी या नहीं या क्या वसीयत उसमें लाभार्थी द्वारा उत्पीड़न और असम्यक असर से विकृत हुई थी।

पक्षकारों द्वारा बनाए गए मामले को समझने के लिए, तथ्यों को संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

श्रीमती ए.जे. फ्रांसिस, इस अपील में उत्तरदाता, ने जोसेफ एंटनी लाजर के पक्ष में प्रोबेट की मंजूरी के प्रतिसंहरण के अपने आवेदन में दावा किया कि उनकी माता, श्रीमती सोलोमन लाजर, राजभवन, मद्रास में अल्प वेतन पर एक हाउस कीपर के रूप में काम कर रही थीं और 1950 के दशक के प्रारंभ में सेवा से सेवानिवृत्त हुई थीं। उत्तरदाता की बड़ी बहन का विवाह 1951 में हुआ था और उसने परिवार छोड़ दिया था। उत्तरदाता का विवाह एक डी.ए.जे. फ्रांसिस से हुआ था जो एक जहाज पर द्वितीय अभियंता के रूप में काम कर रहे थे जिसके कारण उन्हें समय-समय पर भारत से बाहर जाना पड़ता था। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता मद्रास में अपनी माता के साथ रह रही थी। उत्तरदाता द्वारा बनाया गया आगे का मामला यह है कि 1955 में उसके पति ने सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माउंट रोड, मद्रास को आवेदन किया ताकि वह मद्रास शहर में एक आवास-स्थल आवंटन प्राप्त करने में सक्षम हो सके। उसके अनुसरण में, उन्हें प्लॉट संख्या 85, ट्रस्टपुरम योजना आवंटित की गई, जिसे बाद में संख्या 9, द्वितीय क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोदम्बाक्कम, मद्रास- 600024 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया, जो कथित वसीयत की विषयवस्तु थी।

उत्तरदाता का यह भी मामला था कि 1956 में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा इस बात पर बल दिए जाने पर कि केवल मद्रास शहर के निवासी ही सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा परिकल्पित आवास योजना में शामिल होने के पात्र थे, उत्तरदाता और उसके पति ने डी.ए.जे. फ्रांसिस के नाम पर मौजूद आवंटन को श्रीमती सोलोमन लाजर के नाम पर इस समझ के आधार पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया कि श्रीमती सोलोमन लाजर को अपने जीवनकाल तक संपत्ति में रहने और आनंद लेने की अनुमति दी जाएगी और उनकी मृत्यु के बाद इसे उत्तरदाता के पति डी.ए.जे. फ्रांसिस को वापस सौंप दिया जाएगा। प्रासंगिक समय पर परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य के रूप में, उत्तरदाता के पति ने पारिवारिक व्यवस्था में तय किए गए अनुसार नगर विकास न्यास को सभी किस्तों का भुगतान करना जारी रखा। उपरोक्त निर्णय के आधार पर, उत्तरदाता के पति ने 7 मई, 1956 को नगर विकास न्यास के अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्लॉट का आवंटन श्रीमती सोलोमन लाजर के पक्ष में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। प्लॉट तदनुसार श्रीमती सोलोमन लाजर के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया।

तत्पश्चात, उत्तरदाता के पति को मद्रास में नौकरी मिल गई लेकिन उत्तरदाता और उसके पति किराए के आवास में रहे क्योंकि संख्या 9, तृतीय क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम स्थित घर परिवार के सभी सदस्यों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि, 27 नवंबर 1983 को श्रीमती सोलोमन लाजर की मृत्यु पर, उत्तरदाता ने यहाँ अपीलकर्ता से घर का खाली कब्जा उसके पति को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। उत्तरदाता के पति ने तब यहाँ अपीलकर्ता और श्रीमती सोलोमन लाजर के अन्य विधिक वारिसों के विरुद्ध संख्या 9, तृतीय क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, मद्रास में स्थित उपरोक्त गृह संपत्ति के संबंध में घोषणा और कब्जे के लिए विद्वान न्यायाधीश, 12 वां न्यायालय, नगर दीवानी न्यायालय, मद्रास के समक्ष वाद संख्या 8861/1984 दायर किया। उक्त वाद अंतिम निर्णय के लिए लंबित कहा जाता है।

उत्तरदाता ने वसीयतकर्ता की मृत्यु से पूर्व वर्ष 1970 से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त संपत्ति के संबंध में श्रीमती सोलोमन लाजर द्वारा निष्पादित कही गई वसीयत की वैधता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया। उत्तरदाता के अनुसार, कथित वसीयत श्रीमती सोलोमन लाजर द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित नहीं की जा सकती थी और यदि उनके द्वारा वसीयत निष्पादित की भी गई थी, तो यह केवल यहाँ अपीलकर्ता और अन्य पारिवारिक सदस्यों जो उनकी मृत्यु के समय उनके साथ रह रहे थे, द्वारा किए गए दबाव और उत्पीड़न के अंतर्गत ही किया जा सकता था।

दूसरी ओर, अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि प्रश्नगत संपत्ति वसीयतकर्ता की थी और यह अपीलकर्ता और उसका भाई जो अब मस्कट में रह रहा है, थे जिन्होंने गृह संपत्ति की किस्तों का भुगतान किया था और वसीयतकर्ता की मृत्यु तक उनकी देखभाल और ध्यान रखा था। इसी तथ्य की मान्यता में श्रीमती सोलोमन लाजर ने उत्तरदाता और उसके भाई, सेसिल लाजर, को उक्त गृह संपत्ति वसीयत करते हुए एक वसीयत निष्पादित की थी और उन दोनों को अपनी उक्त वसीयत का निष्पादक बनाया था। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया कि जैसा कि वसीयत के विवरणों से प्रतीत होगा, वसीयतकर्ता ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उसकी दो पुत्रियों का विवाह हो चुका था और उनके लिए व्यवस्था कर दी गई थी तथा अपीलकर्ता और उक्त सेसिल लाजर ने न केवल उनकी देखभाल की थी बल्कि प्रश्नगत घर के लिए किस्तों का भुगतान भी किया था।

इसी पृष्ठभूमि में विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अवधारित करते हुए वाद का निर्णय यहाँ अपीलकर्ता के पक्ष में किया कि ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थितियां नहीं थीं जो अपने आप में यह इंगित करने के लिए पर्याप्त हों कि वसीयत विश्वसनीय नहीं थी। दूसरी ओर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवधारित किया कि वादी वसीयत के उचित निष्पादन और अनुप्रमाणन को सिद्ध करने में सक्षम रहा था और इसलिए, वह वसीयत के प्रोबेट की मंजूरी का हकदार था।

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे कि वसीयतकर्ता वसीयत निष्पादित करने के लिए अपने मानसिक संकायों के पर्याप्त नियंत्रण में थी और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह इंगित करे कि वसीयतकर्ता यहाँ अपीलकर्ता के नियंत्रण में थी या वह वसीयत निष्पादित करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम थी।

उत्पीड़न और असम्यक असर के प्रश्न पर भी, विद्वान एकल न्यायाधीश संतुष्ट थे कि ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। विद्वान न्यायमूर्ति ने अवधारित किया कि प्रतिवादी, अर्थात् यहाँ उत्तरदाता यहाँ अपीलकर्ता द्वारा वसीयतकर्ता पर प्रभाव का प्रयोग किए जाने को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रही थी और वसीयत ऐसे प्रभाव का परिणाम थी।

यहाँ उत्तरदाता ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जो ओ.एस.ए. संख्या 45/1991 थी। संबंधित पक्षकारों द्वारा बनाए गए मामले पर विचार करने के बाद, अपीलीय न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को उलट दिया और विभिन्न आधारों पर प्रोबेट की मंजूरी के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को निरस्त कर दिया।

खंड पीठ ने प्रथमतः यह अवलोकन किया कि प्रासंगिक समय पर, वसीयतकर्ता 83 वर्ष की थी और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी, अपीलकर्ता के इस मामले के बावजूद कि उसकी शारीरिक स्थिति के बावजूद, वह मानसिक रूप से सतर्क थी और जो कुछ भी उसने किया उसे समझने में सक्षम थी। वादी की पत्नी (अभियोजन साक्षी-4), जो एक अनुप्रमाणक साक्षी और पहचान करने वाली साक्षी भी थी, के इस इनकार के बावजूद कि वसीयत के पंजीकरण से पहले वसीयतकर्ता का संचालन हुआ था, खंड पीठ ने पाया कि वसीयतकर्ता वर्ष 1975 में गिर गई थी और उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी जिसके लिए उसे वेलोर ले जाना पड़ा था और उसका संचालन किया गया था। वर्ष 1979 में, वसीयतकर्ता

पुनः गिर गई और उसकी वही हड्डी टूट गई जिसके बाद उसे एक संचालन से गुजरना पड़ा और उसकी जांघ में स्टील की प्लेटें डालनी पड़ीं।

खंड पीठ ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि वसीयतकर्ता के चार पुत्रों में से केवल वादी, अर्थात् यहाँ अपीलकर्ता (अभियोजन साक्षी-1) वाद गृह में रह रहा था और तीन अन्य पुत्रों में से, वसीयत के अंतर्गत एकमात्र अन्य लाभार्थी, सेसिल लाजर, शारजाह, सऊदी अरब में रह रहा था, जबकि बेंजामिन लाजर सेंट थॉमस माउंट, मद्रास में रह रहा था और थॉमस लाजर के दहरान, सऊदी अरब में रहने की बात कही गई थी। 5 जुलाई, 1979 को वसीयत के निष्पादन के समय, वाद गृह में केवल अभियोजन साक्षी-2, एक श्री एन.के. सामी, वादी और उसकी पत्नी (अभियोजन साक्षी-4) उपस्थित थे। वसीयत को एक अधिवक्ता, श्री के. वेंकटरमन द्वारा वसीयतकर्ता के निर्देशों पर तैयार किया गया कहा जाता है। खंड पीठ ने अवलोकन किया कि न तो उस विद्वान अधिवक्ता का जिसके बारे में कहा गया है कि उसने वसीयत का प्रारूप तैयार किया था और न ही उस उप निबंधक का जिसके समक्ष वसीयत पंजीकृत की गई थी, वादी/अपीलकर्ता की ओर से साक्षियों के रूप में परीक्षण किया गया था। खंड पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि दस्तावेज कभी वसीयतकर्ता को पंजीकृत होने से पहले पढ़कर सुनाया और स्पष्ट किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, खंड पीठ ने इस तथ्य पर टिप्पणी की कि स्वीकृत रूप से सेसिल लाजर वर्ष 1963 में या उसके आसपास शारजाह, सऊदी अरब गया था और यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि वह शारजाह से वसीयतकर्ता को कोई धन प्रेषित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि वसीयतकर्ता के वसीयत के अंतर्गत दो लाभार्थियों के अतिरिक्त दो अन्य पुत्र थे, वसीयत में अन्य दो पुत्रों का बिल्कुल भी संदर्भ नहीं है कि उन्हें वसीयत से क्यों अपवर्जित किया जा रहा था और संपत्ति में उनके हिस्से से वंचित किया जा रहा था।

अंतिम परिस्थिति जिसने खंड पीठ को प्रभावित किया, वह यह तथ्य था कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर श्रीमती एम. सोलोमन लाजर के रूप में हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है, जबकि यहाँ उत्तरदाता के अनुसार, वह हमेशा अपने नाम के हस्ताक्षर श्रीमती सोलोमन लाजर के रूप में करती थी। खंड पीठ द्वारा यह अवलोकन किया गया कि वसीयतकर्ता ने कथित रूप से वसीयत के विभिन्न पृष्ठों पर श्रीमती एम. सोलोमन लाजर के रूप में हस्ताक्षर किए थे और प्रत्येक पृष्ठ पर दो बार—एक बार जब वसीयत निष्पादित की गई थी और अगली बार उप निबंधक जिसके समक्ष वसीयत पंजीकृत की गई थी के अनुरोध पर। खंड पीठ ने प्रदर्श डी-2, एक डाक पावती, को ध्यान में रखा जहाँ वसीयतकर्ता ने श्रीमती सोलोमन लाजर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि विवादित वसीयत की विश्वसनीयता के बारे में काफी संदेह था।

चूंकि वसीयत वादी, यहाँ अपीलकर्ता (अभियोजन साक्षी-1) की अभिरक्षा से आई थी, खंड पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ता द्वारा वसीयत का तब तक प्रकटीकरण नहीं किया गया था जब तक कि उत्तरदाता के पति ने उसे वाद संपत्ति खाली करने के लिए नहीं कहा। खंड पीठ ने उपरोक्त निष्कर्षों पर विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया और वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त उलटने वाले निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है।

प्रोबेट की मंजूरी के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जो दलीलें दी गई थीं, वही दलीलें हमारे समक्ष अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. मणि द्वारा भी दी गई हैं। उनकी दलील का मुख्य जोर यह था कि वसीयतकर्ता निःसंदेह वृद्ध और उन्नत आयु की थी, लेकिन ऐसा कोई सामग्री नहीं थी जो यह दिखाए कि उसने अपनी शारीरिक और मानसिक संकायों को इस हद तक खो दिया था या कमजोर कर लिया था जो उसे सचेत रूप से उस वसीयत को निष्पादित करने से रोकती जिसका प्रारूप उसके निर्देशों पर तैयार किया गया था। यह निवेदन किया गया कि वसीयत

को अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा और एक स्वतंत्र साक्षी द्वारा, जो एक उप निबंधक था, विधिवत सिद्ध किया गया था और उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।

वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर दो हस्ताक्षरों के प्रकट होने के प्रश्न पर, यह निवेदन किया गया कि इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसने वसीयत के निष्पादन से संबंधित कोई संदिग्ध परिस्थितियां उत्पन्न की थीं क्योंकि अनुप्रमाणक साक्षियों और उस साक्षी ने जिसने पंजीकरण के समय उप निबंधक से वसीयतकर्ता का परिचय कराया था, सभी ने एक स्वर में यह गवाही देकर प्रोबेट की मंजूरी के मामले का समर्थन किया था कि वसीयत पर हस्ताक्षर, निष्पादन और पंजीकरण उनकी उपस्थिति में किया गया था। इस चरण में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सूचना-पत्र की तामीली के बावजूद सुनवाई के दौरान उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, वसीयत की विश्वसनीयता की जांच करने का दायित्व और भी अधिक भारी हो जाता है और वसीयत के निष्पादन तथा पंजीकरण की ओर ले जाने वाली संपूर्ण परिस्थितियों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना चाहिए।

यह सुझाव देना अविवेकपूर्ण होगा, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया गया है, कि वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के आस-पास कोई संदिग्ध परिस्थितियां नहीं हैं। यह समझना कठिन है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में अपने दो पुत्रों का उल्लेख क्यों छोड़ दिया, यद्यपि उसने इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया है कि यहाँ अपीलकर्ता और उसके अन्य पुत्र, सेसिल लाजर, ने उसकी देखभाल की थी और गृह संपत्ति के प्रति सभी किस्तों का भुगतान किया था, भले ही सेसिल लाजर वर्ष 1963 में ही शारजाह चला गया था और केवल अपीलकर्ता ही उसके साथ उस घर में रह रहा था जो वसीयत में वसीयत की विषयवस्तु है। यह स्वीकृत है कि वसीयतकर्ता अत्यधिक उन्नत आयु की थी। यह भी स्थापित है कि वह गिरने के कारण चोटिल हुई थी और उसकी जांघ की हड्डी दो बार टूट गई थी और दोनों अवसरों पर उसका

संचालन किया जाना था तथा वह अपने पहले गिरने के बाद से खराब स्वास्थ्य से ग्रस्त रह रही थी। यह अपने आप में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि वह वसीयत निष्पादित करने में अक्षम थी, लेकिन उत्तरदाता की इस दलील को कि अपीलकर्ता ने दुर्घटना और वसीयतकर्ता की बाद की निर्भरता का लाभ उठाकर उसे अपने पक्ष में और एक अन्य भाई जो भारत में रह भी नहीं रहा था के पक्ष में वसीयत बनाने के लिए प्रभावित किया था, उपरोक्त प्रश्न का निर्णय करते समय ध्यान में रखना होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त, जो शायद और भी अधिक महत्व का है, वह वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर दो हस्ताक्षरों की उपस्थिति है, जिन्हें वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर कहा गया है। यह याद रखा जा सकता है कि जहाँ वसीयत पर दिनांक 5 जुलाई, 1979 अंकित है, वहीं इसका पंजीकरण एक वर्ष से अधिक समय बाद 7 जुलाई, 1980 को किया गया था। वसीयत को छोड़कर, अपीलकर्ता द्वारा यह इंगित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक ने कभी अपने हस्ताक्षर श्रीमती एम. सोलोमन लाजर के रूप में किए थे, इस तथ्य के बावजूद कि यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि उसका मध्य नाम मार्था था और कभी-कभी वह अपने नाम के हस्ताक्षर श्रीमती एम. सोलोमन लाजर के रूप में करती थी और अन्य समय पर केवल श्रीमती सोलोमन लाजर के रूप में। दिए जाने वाले स्पष्टीकरण की विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए, हमने वसीयत की छाया-प्रति का परीक्षण किया जो अभिलेखों में थी और नग्न आंखों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों हस्ताक्षर पूरी तरह से भिन्न हैं और उनमें आपस में कोई समानता बिल्कुल भी नहीं है।

अंतिम और शायद इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपीलकर्ता का उस विद्वान अधिवक्ता का परीक्षण करने में विफल रहना है जिसके बारे में कहा गया है कि उसने वसीयतकर्ता के निर्देशों पर वसीयत का प्रारूप तैयार किया था और उस उप निबंधक का परीक्षण न करना है जिसके समक्ष वसीयत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई कही गई है।

उक्त दोनों साक्षी वसीयत की तैयारी, निष्पादन और पंजीकरण से संबंधित तथ्यों को निर्णायक रूप से सिद्ध कर सकते थे। किसी भी साक्ष्य के अभाव में, हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि वसीयत को वसीयतकर्ता के निष्पादित करने और पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने की बात कहे जाने से पहले कभी उसे पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट किया गया था या नहीं।

एक साथ ली गई सभी परिस्थितियों का संचयी प्रभाव वसीयत की विश्वसनीयता के संबंध में और इस बारे में कि क्या वास्तव में वसीयतकर्ता द्वारा इसका निष्पादन किया गया था, और यदि ऐसा था, तो उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया गया था या नहीं, एक वास्तविक संदेह को जन्म देता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, हम मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण नहीं देखते हैं। परिणामस्वरूप, अपील निरस्त की जाती है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार अपनी-अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

बी.एस. अपील निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।